

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसू जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-181-02 / 2026- 66

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

नालन्दा, जहानाबाद एवं गयाजी।

पटना, दिनांक-०९/०६/२०२६

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत प्रभार तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल ₹3,59,998/- (तीन लाख उनसठ हजार नौ सौ अनठानवे रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत प्रभार तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल ₹3,59,998/- (तीन लाख उनसठ हजार नौ सौ अनठानवे रू0) मात्र की आवंटन दी जाती है।

2-कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यको का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0003.06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0003.13.04-विद्युत प्रभार मद तथा 0003.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ मद विपत्र कोड सं0-44-2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3-इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4-वित्त विभाग के पत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाएगा।

7-आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

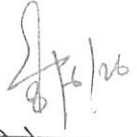
विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-181-02 / 2026- 66

पटना, दिनांक - 09/06/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित जिला के कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला के उप कोषागार पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत प्रभार तथा सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि की विवरणी।

क्र0 सं0	जिला	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06.01)	विद्युत प्रभार (13.04)	सामग्री एवं आपूर्ति मद (21.01)	(राशि-रु0 में)
					कुल योग
1	नालन्दा	45440	-	-	45440
2	जहानाबाद	-	-	8050	8050
3	गयाजी	-	306508	-	306508
कुल योग					3,59,998

कुल राशि (तीन लाख उनसठ हजार नौ सौ अनठानवे रु0) मात्र


निदेशक